# एलआईसी का
# न्यू जीवन आनंद
# विक्रय विवरणिका

# एलआईसी का न्यू जीवन आनंद
# (यूआईएन: 512N279V03)

**(एक सहभागी, असंबद्ध, जीवन बीमा, व्यक्तिगत बचत प्लान)**

एलआईसी का नया जीवन आनंद प्लान एक सहभागी असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत बचत योजना है जो सुरक्षा और बचत का एक आकर्षक मेल प्रदान करती है। यह मेल पॉलिसीधारक के पूरे जीवनकाल में मृत्यु के प्रति वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, साथ ही उसके जीवित रहने पर चयनित पॉलिसी अवधि के अंत में एकमुश्त भुगतान का प्रावधान भी है।

इस प्लान को लाइसेंस प्राप्त एजेंटों, कॉर्पोरेट एजेंटों, ब्रोकरों और बीमा विपणन फर्मों के माध्यम से ऑफ़लाइन खरीदा जा सकता है।

**मुख्य विशेषताएं:**

- प्लान सुरक्षा और बचत प्रदान करता है।
- पूरे जीवनकाल में जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करता है।
- पॉलिसी अवधि के अंत तक जीवित रहने पर एकमुश्त भुगतान।
- लचीलापन:–
  - सुविधा के अनुसार प्रीमियम भुगतान विधि चुनें।
  - वह अवधि चुनें जिसके लिए सुरक्षा चाहिए।
  - किस्तों में हितलाभ के भुगतान का विकल्प चुनें।
- वैकल्पिक राइडर्स के साथ सुरक्षा बढ़ाने का विकल्प।
- आकर्षक उच्च बीमा राशि छूट का लाभ।
- ऋण सुविधा के माध्यम से नकदीकरण की ज़रूरतों का ख्याल रखता है।

## 1. पात्रता की शर्तें और अन्य शर्ते:

| | | |
|---|---|---|
| ए) | प्रवेश के समय न्यूनतम आयु | : 18 वर्ष (पूर्ण) |
| बी) | प्रवेश के समय अधिकतम आयु | : 50 वर्ष (निकटतम जन्म दिन पर) |
| सी) | न्यूनतम परिपक्वता आयु | : 75 वर्ष (निकटतम जन्म दिन पर) |
| डी) | न्यूनतम पॉलिसी अवधि | : 15 वर्ष |
| ई) | अधिकतम पॉलिसी अवधि | : 35 वर्ष |
| एफ) | न्यूनतम मूल बीमा राशि | : रु.100,000 |
| जी) | अधिकतम मूल बीमा राशि | : कोई सीमा नहीं |

मूल बीमा राशि नीचे दी गई राशियों के गुणकों में होगी:

| मूल बीमा राशि सीमा | बीमा राशि का गुणक |
|---|---|
| रु.2,00,000/– से रु.4,50,000/–तक | रु.5,000/– |
| रु.4,50,000/– से अधिक से लेकर रु.9,00,000/– तक | रु.50,000/– |
| रु.9,00,000/– से अधिक | रु.1,00,000/– |

**प्लान के अंतर्गत जोखिम आरंभ दिनांक:**

जोखिम की स्वीकृति पर जोखिम तुरंत आरंभ हो जाएगा।

## 2. हितलाभ:

**ए. मृत्यु हितलाभ:**

बशर्ते कि सभी देय प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया हो, निम्नलिखित मृत्यु लाभ का भुगतान किया जाएगा:

- पॉलिसी अवधि के दौरान अर्थात परिपक्वता की निर्धारित तिथि से पहले मृत्यु होने पर: मृत्यु पर बीमित राशि के बराबर मृत्यु हितलाभ, निहित सधारण प्रत्यावर्ती बोनस और अंतिम अतिरिक्त बोनस, यदि कोई हो, के साथ देय होगा; जहाँ, मृत्यु पर बीमित राशि को मूल बीमित राशि के 125% या वार्षिक प्रीमियम के 7 गुना में से जो भी अधिक हो, के रूप में परिभाषित किया गया है। यह मृत्यु लाभ मृत्यु की तिथि तक भुगतान किए गए कुल प्रीमियम के 105% से कम नहीं होगा।

जहाँ,

i. **"वार्षिक प्रीमियम"** एक वर्ष में देय प्रीमियम होगा, जो कर, राइडर प्रीमियम, अंडरराइटिंग अतिरिक्त प्रीमियम और मोडल प्रीमियम के लिए लोडिंग को छोड़कर

ii. **"भुगतान किए गए कुल प्रीमियम"** का अर्थ है मूल उत्पाद के तहत भुगतान किए गए सभी प्रीमियमों का योग, किसी भी अतिरिक्त प्रीमियम और करों को छोड़कर, यदि स्पष्ट रूप से एकत्र किया गया हो।

- पॉलिसी अवधि की समाप्ति के बाद अर्थात परिपक्वता की निर्धारित तिथि से पहले मृत्यु होने पर : मूल बीमित राशि देय होगी।

**बी. पॉलिसी अवधि के अंत में देय लाभ (अर्थात परिपक्वता पर):**

निर्धारित परिपक्वता दिनांक तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, अर्थात सभी देय प्रीमियम का भुगतान किया गया हो, **"परिपक्वता पर बीमित राशि"** के साथ निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस और अंतिम अतिरिक्त बोनस, यदि कोई हो, देय होगा, बशर्ते कि पॉलिसी चालू हो; जहां **"परिपक्वता पर बीमित राशि मूल बीमित राशि"** के बराबर है।

**सी. लाभ में भागीदारी:**

पॉलिसी निगम के मुनाफे में भाग लेगी और निगम के अनुभव के अनुसार घोषित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस प्राप्त करने की हकदार होगी, बशर्ते कि पॉलिसी चालू हो।

यदि प्रीमियम का भुगतान विधिवत नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी भविष्य के हितलाभों में भाग लेना बंद कर देगी, भले ही पॉलिसी ने चुकता मूल्य प्राप्त किया हो या नहीं।

हर वित्त वर्ष के अंत में वार्षिक रूप से साधारण प्रत्यावर्ती बोनस घोषित किया जाएगा। एक बार घोषित होने के बाद, वे कॉर्पोरेशन द्वारा घोषित नियमों और शर्तों पर योजना के गारंटीड हितलाभों का हिस्सा बन जाते हैं।

पॉलिसी अभ्यर्पित होने की स्थिति में, अभ्यर्पण की तिथि पर लागू निहित बोनस का अभ्यर्पण मूल्य, यदि हो, देय होगा।

पॉलिसी के तहत अंतिम अतिरिक्त बोनस भी उस वर्ष घोषित किया जा सकता है जब पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु के कारण दावा किया जाता है या परिपक्वता लाभ के लिए देय होता है, ऐसी दरों और शर्तों पर जैसा कि निगम द्वारा घोषित किया जा सकता है। अंतिम अतिरिक्त बोनस चुकता पॉलिसियों के तहत देय नहीं होगा।

एक्चुअरियल गणना से निकलने वाले अधिशेष में से पॉलिसीधारकों को वास्तविक आवंटन, एलआईसी अधिनियम, 1956 के तहत किया जाएगा।

## 3. उपलब्ध विकल्प:

### I. राइडर हितलाभ:

अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर इस प्लान के तहत निम्नलिखित चार वैकल्पिक राइडर (या इनका संशोधित संस्करण) उपलब्ध होंगे। फिर भी, पॉलिसीधारक एलआईसी के दूर्घटना से मृत्यु एवं दिव्याँगता हितलाभ राइडर या एलआईसी के दुर्घटना हितलाभ राइडर को चुन सकता है। इसीलिए पॉलिसी के अंतर्गत अधिकतम तीन राइडर्स लिए जा सकते हैं।

**ए. एलआईसी का दुर्घटना से मृत्यु एवं दिव्याँगता हितलाभ राइडर (UIN: 512B209V02)**

इस राइडर को मूल प्लान की पॉलिसी अवधि में किसी भी समय लिया जा सकता है, बशर्ते मूल प्लान की शेष पॉलिसी अवधि कम से कम 5 वर्ष हो, किंतु, बीमित व्यक्ति के 65 वर्ष की उम्र के होने के नजदीक जन्म दिन से पहले पॉलिसी वर्षगांठ पर हो। इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ संरक्षण उस पॉलिसी अवधि के दौरान या पॉलिसी वर्षगांठ से पूर्व तक उपलब्ध होगा, जब कि बीमित व्यक्ति की उम्र नजदीकी जन्मदिन पर 70 वर्ष की होती है, जो भी पहले हो। अगर इस राइडर को दुर्घटना के कारण मृत्यु की स्थिति के लिए चुना जाता है, तो दुर्घटना हितलाभ राइडर बीमा राशि एकमुश्त रूप से बेस प्लान के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ के साथ देय होगी। दुर्घटना के कारण (दुर्घटना की तिथि से 180 दिनों के अंदर) दुर्घटना के कारण अशक्तता पैदा होने पर दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के समान राशि का भुगतान 10 वर्षों की अवधि में समान मासिक किस्तों में किया जाएगा तथा दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के लिए भविष्य के प्रीमियम्स तथा बेस पॉलिसी के अंतर्गत मूल बीमा राशि (जो कि दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के समान है) के अंश हेतु प्रीमियम्स को माफ कर दिया जाएगा।

**बी. एलआईसी का दुर्घटना हितलाभ राइडर (UIN: 512B203V03)**

इस राइडर को मूल प्लान की पॉलिसी अवधि में किसी भी समय लिया जा सकता है, बशर्ते मूल प्लान की शेष पॉलिसी अवधि कम से कम 5 वर्ष हो, किंतु, बीमित व्यक्ति के 65 वर्ष की उम्र के होने के नजदीक जन्म दिन

से पहले पॉलिसी वर्षगांठ पर हो। इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ संरक्षण उस पॉलिसी अवधि के दौरान या पॉलिसी वर्षगांठसे पूर्व तक उपलब्ध होगा, जब कि बीमित व्यक्ति की उम्र नजदीकी जन्मदिन पर 70 वर्ष की होती है, जो भी पहले हो। अगर इस राइडर को दुर्घटना के कारण मृत्यु की स्थिति के लिए चुना जाता है, तो दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि एकमुश्त रूप से बेस प्लान के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ के साथ देय होगी।

**सी. एलआईसी का न्यू टर्म एश्योरेन्स राइडर (UIN: 512B210V02)**

यह राइडर केवल पॉलिसी की शुरुआत में ही उपलब्ध है। इस राइडर के तहत हितलाभ कवर पॉलिसी अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगा। यदि इस राइडर को चुना जाता है, तो राइडर अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर 'मृत्यु पर टर्म राइडर बीमा राशि' के बराबर राशि देय होगी।

**डी. एलआईसी का क्रिटिकल इलनेस हेल्थ राइडर (UIN: 512BXXXV01) :**

यह राइडर केवल पॉलिसी के आरंभ में ही उपलब्ध है। इस राइडर के अंतर्गत निम्नलिखित दो विकल्प उपलब्ध हैं :

विकल्प 1 : 15 प्रमुख गंभीर बीमारियाँ

विकल्प 2 : 40 प्रमुख गंभीर बीमारियाँ, जिनमें असिस्टेड लिविंग बेनिफिट (एएलबी) शामिल है।

यदि इस राइडर को चुना जाता है, तो इस राइडर के अंतर्गत बीमा–रक्षित की गई किसी भी निर्दिष्ट गंभीर बीमारी के निदान पर शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, गंभीर बीमारी बीमा राशि देय होगी। हालाँकि, विकल्प 2 के अंतर्गत, यदि निर्दिष्ट 7 गंभीर बीमारियों में से किसी के होने का पता चलता है, तो गंभीर बीमारी बीमा राशि के 1% के मासिक भुगतान का अतिरिक्त हितलाभ, ऐसी बीमारी के पता चलने की तिथि से 36 महीने के लिए सहायक जीवन हितलाभ (एएलबी) के रूप में देय होगा।

एलआईसी के क्रिटिकल इलनेस हेल्थ राइडर से संबंधित प्रीमियम मूल उत्पाद के अंतर्गत प्रीमियम के 100% से अधिक नहीं होगी। सभी अन्य जीवन बीमा राइडरों के अंतर्गत प्रीमियम मूल उत्पाद के अंतर्गत प्रीमियमों के 30% से अधिक नहीं होगी।

एलआईसी के दुर्घटना हितलाभ राइडर के संबंध में राइडर बीमा राशि मूल उत्पाद के अंतर्गत मूल बीमा राशि के तीन गुना से अधिक नहीं होगी। हालांकि, अन्य सभी राइडरों के अंतर्गत होने वाला कोई भी हितलाभ मूल उत्पाद के अंतर्गत मूल बीमा राशि से अधिक नहीं होगा।

उपरोक्त राइडर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए, राइडर ब्रोशर देखें या एलआईसी के निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

**II. किश्तों में मृत्यु हितलाभ लेने का विकल्प:**

यह एक चालू और चुकता पॉलिसी के तहत एकमुश्त राशि के बजाय 5 या 10 या 15 वर्षों की चुनी गई अवधि में किश्तों में मृत्यु हितलाभ प्राप्त करने का विकल्प है। इस विकल्प का उपयोग जीवन बीमाधारक द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान पॉलिसी के तहत देय मृत्यु हितलाभ के पूर्ण या आंशिक हिस्से के लिए किया जा सकता है। जीवन बीमाधारक द्वारा चुनी गई राशि (यानी शुद्ध दावा राशि) या तो पूर्ण मूल्य में हो सकती है या देय कुल दावा आय के प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

किस्तों का भुगतान, चुने गए अनुसार, वार्षिक या छमाही या तिमाही या मासिक अंतराल पर अग्रिम रूप से किया जाएगा, जो कि विभिन्न भुगतान माध्यमों के लिए नीचे दी गई न्यूनतम किस्त राशि के अधीन होगी।

| किस्त भुगतान की विधि | न्यूनतम किस्त राशि |
|---|---|
| मासिक | रु.5,000/- |
| तिमाही | रु.15,000/- |
| छमाही | रु.25,000/- |
| वार्षिक | रु.50,000/- |

अगर दावे की कुल राशि बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प हेतु न्यूनतम किस्त राशि से कम है तो राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। इस विकल्प के अंतर्गत किस्त भुगतानों की गणना करने के लिए लागू ब्याज दरों को निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल तक 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए, प्रत्येक किस्त की राशि पर पहुंचने के लिए उपयोग की जाने वाली ब्याज दर वार्षिक रूप से प्रभावी दर होगी जो 10 साल की अर्ध-वार्षिक जी-सेक प्रति वर्ष माइनस 2% से कम नहीं होगी; जहां, 10 साल की अर्ध-वार्षिक जी-सेक प्रतिफल पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगी। तदनुसार, 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की 12 महीने की अवधि के लिए, किस्त राशि की गणना के लिए प्रभावी ब्याज दर 5.07% प्रति वर्ष होगी।

किश्तों में मृत्यु हितलाभ लेने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए, बीमित व्यक्ति अपने जीवनकाल में पॉलिसी की अवधि के दौरान इस विकल्प का उपयोग कर सकता है, जिसमें किश्त भुगतान की अवधि और शुद्ध दावा राशि निर्दिष्ट की जाती है जिसके लिए विकल्प का उपयोग किया जाना है। उसके बाद बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार मृत्यु दावा राशि का भुगतान नामित व्यक्ति को किया जाएगा और नामित व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह का परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**III. परिपक्वता हितलाभ के लिए निपटान विकल्प:**

निपटान विकल्प एक चालू और चुकता पॉलिसी के तहत एकमुश्त राशि के बजाय 5 या 10 या 15 साल की चुनी गई अवधि में किश्तों में परिपक्वता लाभ प्राप्त करने का विकल्प है। इस विकल्प का उपयोग बीमित व्यक्ति द्वारा पॉलिसी के तहत देय परिपक्वता आय के पूर्ण या भाग के लिए किया जा सकता है। बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (यानी शुद्ध दावा राशि) या तो पूर्ण मूल्य में हो सकती है या देय कुल दावा आय के प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

किस्तों का भुगतान अग्रिम रूप से वार्षिक या अर्ध–वार्षिक या त्रैासिक या मासिक अंतराल पर किया जाएगा, जैसा कि भुगतान के विभिन्न तरीकों के लिए न्यूनतम किस्त राशि के अधीन है, जो निम्नानुसार है:

| किस्त भुगतान की विधि | न्यूनतम किस्त राशि |
|---|---|
| मासिक | रु.5,000/– |
| तिमाही | रु.15,000/– |
| अर्ध वार्षिक | रु.25,000/– |
| वार्षिक | रु.50,000/– |

अगर दावे की कुल राशि बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार न्यूनतम किस्त राशि उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक राशि से कम होती है तो दावा प्राप्तियों का भुगतान एकमुश्त रूप में किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल तक की 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए, प्रत्येक किस्त की राशि पर पहुंचने के लिए उपयोग की जाने वाली ब्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी जो 10 साल की अर्ध–वार्षिक जी–सेक प्रति वर्ष माइनस 2% से कम नहीं होगी; जहां, 10 वर्षीय अर्ध–वार्षिक जी–सेक प्रतिफल पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगा। तदनुसार, 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की 12 महीने की अवधि के लिए, किस्त राशि की गणना के लिए लागू ब्याज दर 5.07% प्रति वर्ष प्रभावी होगी।

परिपक्वता हितलाभ के प्रति निपटान विकल्प का उपयोग करने के लिए, बीमित व्यक्ति को परिपक्वता की नियत तिथि से कम से कम 3 महीने पहले किस्तों में शुद्ध दावा राशि के भुगतान के विकल्प का उपयोग करना होगा।

पहला भुगतान परिपक्वता की तिथि पर किया जाएगा और उसके बाद, बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए किस्त भुगतान के तरीके के आधार पर, परिपक्वता की तिथि से हर महीने या तीन महीने या छह महीने या सालाना, जैसा भी मामला हो, भुगतान किया जाएगा।

**निपटान विकल्प के तहत किस्त भुगतान शुरू होने के बाद:**

ए. यदि कोई बीमित व्यक्ति, जिसने परिपक्वता लाभ के प्रति निपटान विकल्प का प्रयोग किया है, इस विकल्प को वापस लेना चाहता है तथा बकाया किश्तों को कम्यूट करना चाहता है, तो उसे बीमित व्यक्ति से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर इसकी अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामले में, निम्नलिखित में से जो अधिक हो, एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा तथा पॉलिसी समाप्त हो जाएगी,

- सभी भविष्य की देय किश्तों का घटा हुआ मूल्य; या
- (मूल राशि जिसके लिए निपटान विकल्प का उपयोग किया गया था) माइनस (पहले से भुगतान की गई कुल किश्तों की राशि)।

बी. भविष्य की किश्तों के भुगतान को छूट देने के लिए उपयोग की जाने वाली लागू ब्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी जो 10 वर्ष की अर्ध–वार्षिक जी–सेक प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी; जहां, 10 वर्ष की अर्ध–वार्षिक जी–सेक प्रतिफल पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगी, जिसके दौरान

निपटान विकल्प शुरू किया गया था। इसके अनुसार, 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू किए गए सभी निपटान विकल्पों के संबंध में, भविष्य की किस्तों में छूट के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकतम लागू ब्याज दर 7.07% प्रति वर्ष होगी।

सी. परिपक्वता की तिथि के बाद, निपटान विकल्प का प्रयोग करने वाले बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, बीमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए विकल्प के अनुसार, नामित व्यक्ति को बकाया किस्तों का भुगतान जारी रहेगा और नामित व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह का परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

## 4. प्रीमियमों का भुगतान:

प्रीमियमों का भुगतान नियमित रूप से वार्षिक, अर्ध–वार्षिक, त्रैमासिक या मासिक अंतराल (केवल एनएसीएच के माध्यम से) या पॉलिसी अवधि के दौरान वेतन कटौती के माध्यम से किया जा सकता है।

## 5.रियायत अवधि:

वार्षिक या अर्ध–वार्षिक या त्रैमासिक प्रीमियम के भुगतान के लिए 30 दिनों की रियायत अवधि और मासिक प्रीमियम के लिए 15 दिनों की रियायत अवधि पहले बकाया प्रीमियम की तिथि से दी जाएगी। इस अवधि के दौरान, पॉलिसी को पॉलिसी की शर्तों के अनुसार बिना किसी रुकावट के जोखिम कवर के साथ लागू माना जाएगा। यदि प्रीमियम का भुगतान रियायत अवधि की समाप्ति से पहले नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाती है।

उपर्युक्त रियायत अवधि राइडर प्रीमियम पर भी लागू होगी जो मूल पॉलिसी के प्रीमियम के साथ देय हैं।

## 6. नमूना उदाहरणात्मक प्रीमियम:

मानक जीवन के लिए रु.2 लाख की मूल बीमित राशि के लिए नमूना उदाहरणात्मक वार्षिक प्रीमियम (रुपये में) निम्नानुसार हैं:

(राशि रु. में)

| | पॉलिसी अवधि | | |
|---|---|---|---|
| **आयु** | **15** | **25** | **35** |
| **20** | 16,229 | 9,339 | 6,517 |
| **30** | 16,885 | 9,810 | 6,968 |
| **40** | 18,012 | 10,711 | 7,918 |
| **50** | 19,914 | 12,397 | – |

उपरोक्त प्रीमियम कर छोड़कर है।

## 7. छूटें:

मोड की छूट:

वार्षिक विधि - सारणीबद्ध प्रीमियम का 2%

अर्ध–वार्षिक विधि - सारणीबद्ध प्रीमियम का 1%

त्रैमासिक, मासिक और वेतन कटौती - शून्य

उच्च बीमा राशि छूट (प्रीमियम पर):

| मूल बीमा राशि (बी.एस.ए.) | छूट (रु.) |
|---|---|
| रु. 2,00,000 से रु.5,00,000 से कम | शून्य |
| रु.5,00,000 से रु.10,00,000 से कम | 2.50% 0 बी.एस.ए. |
| रु.10,00,000 और उससे अधिक | 4.00% 0 बी.एस.ए. |

## 8. पुनर्चलन:

यदि प्रीमियम का भुगतान अनुग्रह अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी समाप्त हो जाएगी। एक समाप्त पॉलिसी को पहले बकाया प्रीमियम की तिथि से लगातार 5 पूर्ण वर्षों की अवधि के भीतर लेकिन पॉलिसी अवधि की समाप्ति से पहले पुनर्चलन किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो।

पुनर्चलन, सभी बकाया प्रीमियमों का भुगतान ब्याज (अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि) के साथ उस दर पर किया जाएगा, जो समय-समय पर निगम द्वारा तय की जा सकती है और बीमाधारक की निरंतर बीमा योग्यता की संतुष्टि के आधार पर पहले से उपलब्ध जानकारी, दस्तावेज़ और रिपोर्ट और इस संबंध में कोई अतिरिक्त जानकारी, यदि और जैसा कि निगम की अंडरराइटिंग नीति के अनुसार आवश्यक हो, पॉलिसीधारक/बीमित/प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की जा रही है।

निगम मूल शर्तों पर स्वीकार करने, संशोधित शर्तों पर स्वीकार करने या बंद की गई पॉलिसी के पुनर्चलन से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बंद की गई पॉलिसी का पुनर्चलन तभी प्रभावी होगा जब उसे निगम द्वारा अनुमोदित, स्वीकार कर लिया जाएगा और पुनर्चलन रसीद जारी कर दी जाएगी।

इस उत्पाद के तहत 1 मई से 30 अप्रैल तक प्रत्येक 12 महीने की अवधि के लिए पुनर्चलन हेतु लागू ब्याज दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10 वर्षीय जी-सेक प्रति वर्ष प्रतिफल प्लस 3% या निगम के असंबद्ध, प्रतिभागी निधि पर अर्जित प्रतिफल धन 1%, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की 12 महीने की अवधि के लिए, लागू ब्याज दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 9.50% प्रति वर्ष होगी।

पॉलिसी के पुनर्चलन के लिए ब्याज दर के निर्धारण का आधार परिवर्तन के अधीन है।

यदि राइडर का पुनर्चलन चुना जाता है, तो उसे केवल मूल पॉलिसी के पुनर्चलन के साथ ही विचार में लिया जाएगा, न कि अलग से।

## 9. चुकता पॉलिसी:

यदि एक पूर्ण वर्ष से कम प्रीमियम का भुगतान किया गया है और उसके बाद कोई भी प्रीमियम विधिवत अदा नहीं किया गया है, तो पॉलिसी के तहत सभी हितलाभ पहले बकाया प्रीमियम की तिथि से रियायती अवधि की समाप्ति के बाद समाप्त हो जाएंगे और कुछ भी देय नहीं होगा।

यदि कम से कम एक पूर्ण वर्ष का प्रीमियम भुगतान करने के बाद और उसके बाद कोई भी प्रीमियम विधिवत भुगतान नहीं किया गया है, तो पहले पॉलिसी वर्ष के पूरा होने पर पॉलिसी पूरी तरह से शून्य नहीं होगी, बल्कि चुकता पॉलिसी के रूप में जारी रहेगी।

**पॉलिसी अवधि के दौरान:**

चुकता पॉलिसी के तहत **''मृत्यु पर बीमित राशि''** को ऐसी राशि तक घटा दिया जाएगा, जिसे **''मृत्यु चुकता बीमा राशि''** कहा जाता है और यह **''मृत्यु पर बीमित राशि''** के बराबर होगी, जिसे पहले से भुगतान किए गए प्रीमियम की कुल अवधि के अनुपात से गुणा किया जाएगा, जो उस अधिकतम अवधि से होगा जिसके लिए प्रीमियम मूल रूप से देय थे। पॉलिसी अवधि के दौरान जीवन बीमाधारक की मृत्यु पर, चुकता पॉलिसी के तहत देय मृत्यु हितलाभ, निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस, यदि कोई हो, के साथ मृत्यु चुकता बीमा राशि होगी। यह मृत्यु हितलाभ, मृत्यु की तिथि तक भुगतान किए गए कुल प्रीमियम के 105% से कम नहीं होगा।

चुकता पॉलिसी के तहत **''परिपक्वता पर बीमा राशि''** को ऐसी राशि तक घटा दिया जाएगा, जिसे **''परिपक्वता चुकता बीमा राशि''** कहा जाता है और यह **''परिपक्वता पर बीमा राशि''** के बराबर होगी जिसे पहले से भुगतान किए गए कुल अवधि के अनुपात से गुणा किया जाएगा और वह अधिकतम अवधि होगी जिसके लिए प्रीमियम मूल रूप से देय थे। चुकता पॉलिसी के तहत, पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर देय परिपक्वता हितलाभ, निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस, यदि कोई हो, के साथ परिपक्वता चुकता बीमा राशि होगी।

**पॉलिसी अवधि की समाप्ति के बाद:**

पॉलिसी अवधि की समाप्ति के बाद बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, मूल बीमा राशि के बराबर चुकता बीमा राशि में पहले से अदा किए गए प्रीमियमों वाली कुल अवधि तथा देय प्रीमियमों वाली अधिकतम अवधि के अनुपात से गुणा करके आई राशि का भुगतान किया जाएगा।

चुकता पॉलिसी भविष्य के हितलाभों में भाग लेने की हकदार नहीं होगी। तथापि, निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस, यदि कोई हो, चुकता पॉलिसी से जुड़े रहेंगे।

यदि पॉलिसी कालातीत हो जाती है, तो राइडर को कोई चुकता मूल्य हासिल नहीं होता है और राइडर हितलाभ लागू नहीं होते हैं।

## 10. अभ्यर्पण:

पॉलिसी को पहला पॉलिसी वर्ष पूरा होने के बाद अभ्यर्पित किया जा सकता है, बशर्ते एक पूरे वर्ष का प्रीमियम अदा किया गया हो। तथापि, पॉलिसी कम से कम दो पूरे वर्षों के प्रीमियम के भुगतान पर गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य और पहले पॉलिसी वर्ष के पूरा होने के बाद विशेष अभ्यर्पण मूल्य प्राप्त करेगी, बशर्ते एक पूरे वर्ष का प्रीमियम चुकाया गया हो। चालू या चुकता पॉलिसी के अभ्यर्पण पर, निगम गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य और विशेष अभ्यर्पण मूल्य में से जो अधिक हो, उसके बराबर अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान करेगा।

पॉलिसी अवधि के दौरान देय गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य कुल भुगतान किए गए प्रीमियम (अतिरिक्त प्रीमियम, करों को छोड़कर, यदि स्पष्ट रूप से एकत्र किया गया हो और राइडर्स के लिए प्रीमियम, यदि चुना गया हो) के बराबर होगा, जिसे भुगतान किए गए कुल प्रीमियम पर लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य कारकों से गुणा किया जाएगा। प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए गए ये गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य कारक पॉलिसी अवधि और पॉलिसी वर्ष पर निर्भर करेंगे जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की गई है और वे नीचे निर्दिष्ट किए गए हैं:

| कुल भुगतान की गई प्रीमियमों पर लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कारक | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पॉलिसी अवधि | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| पॉलिसी वर्ष | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% |
| 3 | 35.00% | 35.00% | 35.00% | 35.00% | 35.00% | 35.00% | 35.00% | 35.00% | 35.00% | 35.00% | 35.00% | 35.00% | 35.00% | 35.00% | 35.00% | 35.00% | 35.00% | 35.00% | 35.00% | 35.00% | 35.00% |
| 4 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| 5 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| 6 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| 7 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| 8 | 54.29% | 53.75% | 53.33% | 53.00% | 52.73% | 52.50% | 52.31% | 52.14% | 52.00% | 51.88% | 51.76% | 51.67% | 51.58% | 51.50% | 51.43% | 51.36% | 51.30% | 51.25% | 51.20% | 51.15% | 51.11% |
| 9 | 58.57% | 57.50% | 56.67% | 56.00% | 55.45% | 55.00% | 54.62% | 54.29% | 54.00% | 53.75% | 53.53% | 53.33% | 53.16% | 53.00% | 52.86% | 52.73% | 52.61% | 52.50% | 52.40% | 52.31% | 52.22% |
| 10 | 62.86% | 61.25% | 60.00% | 59.00% | 58.18% | 57.50% | 56.92% | 56.43% | 56.00% | 55.63% | 55.29% | 55.00% | 54.74% | 54.50% | 54.29% | 54.09% | 53.91% | 53.75% | 53.60% | 53.46% | 53.33% |
| 11 | 67.14% | 65.00% | 63.33% | 62.00% | 60.91% | 60.00% | 59.23% | 58.57% | 58.00% | 57.50% | 57.06% | 56.67% | 56.32% | 56.00% | 55.71% | 55.45% | 55.22% | 55.00% | 54.80% | 54.62% | 54.44% |
| 12 | 71.43% | 68.75% | 66.67% | 65.00% | 63.64% | 62.50% | 61.54% | 60.71% | 60.00% | 59.38% | 58.82% | 58.33% | 57.89% | 57.50% | 57.14% | 56.82% | 56.52% | 56.25% | 56.00% | 55.77% | 55.56% |
| 13 | 75.71% | 72.50% | 70.00% | 68.00% | 66.36% | 65.00% | 63.85% | 62.86% | 62.00% | 61.25% | 60.59% | 60.00% | 59.47% | 59.00% | 58.57% | 58.18% | 57.83% | 57.50% | 57.20% | 56.92% | 56.67% |
| 14 | 90.00% | 76.25% | 73.33% | 71.00% | 69.09% | 67.50% | 66.15% | 65.00% | 64.00% | 63.13% | 62.35% | 61.67% | 61.05% | 60.50% | 60.00% | 59.55% | 59.13% | 58.75% | 58.40% | 58.08% | 57.78% |
| 15 | 90.00% | 90.00% | 76.67% | 74.00% | 71.82% | 70.00% | 68.46% | 67.14% | 66.00% | 65.00% | 64.12% | 63.33% | 62.63% | 62.00% | 61.43% | 60.91% | 60.43% | 60.00% | 59.60% | 59.23% | 58.89% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | | 90.00% | 90.00% | 77.00% | 74.55% | 72.50% | 70.77% | 69.29% | 68.00% | 66.88% | 65.88% | 65.00% | 64.21% | 63.50% | 62.86% | 62.27% | 61.74% | 61.25% | 60.80% | 60.38% | 60.00% |
| 17 | | | 90.00% | 90.00% | 77.27% | 75.00% | 73.08% | 71.43% | 70.00% | 68.75% | 67.65% | 66.67% | 65.79% | 65.00% | 64.29% | 63.64% | 63.04% | 62.50% | 62.00% | 61.54% | 61.11% |
| 18 | | | | 90.00% | 90.00% | 77.50% | 75.38% | 73.57% | 72.00% | 70.63% | 69.41% | 68.33% | 67.37% | 66.50% | 65.71% | 65.00% | 64.35% | 63.75% | 63.20% | 62.69% | 62.22% |
| 19 | | | | | 90.00% | 90.00% | 77.69% | 75.71% | 74.00% | 72.50% | 71.18% | 70.00% | 68.95% | 68.00% | 67.14% | 66.36% | 65.65% | 65.00% | 64.40% | 63.85% | 63.33% |
| 20 | | | | | | 90.00% | 90.00% | 77.86% | 76.00% | 74.38% | 72.94% | 71.67% | 70.53% | 69.50% | 68.57% | 67.73% | 66.96% | 66.25% | 65.60% | 65.00% | 64.44% |
| 21 | | | | | | | 90.00% | 90.00% | 78.00% | 76.25% | 74.71% | 73.33% | 72.11% | 71.00% | 70.00% | 69.09% | 68.26% | 67.50% | 66.80% | 66.15% | 65.56% |
| 22 | | | | | | | | 90.00% | 90.00% | 78.13% | 76.47% | 75.00% | 73.68% | 72.50% | 71.43% | 70.45% | 69.57% | 68.75% | 68.00% | 67.31% | 66.67% |
| 23 | | | | | | | | | 90.00% | 90.00% | 78.24% | 76.67% | 75.26% | 74.00% | 72.86% | 71.82% | 70.87% | 70.00% | 69.20% | 68.46% | 67.78% |
| 24 | | | | | | | | | | 90.00% | 90.00% | 78.33% | 76.84% | 75.50% | 74.29% | 73.18% | 72.17% | 71.25% | 70.40% | 69.62% | 68.89% |
| 25 | | | | | | | | | | | 90.00% | 90.00% | 78.42% | 77.00% | 75.71% | 74.55% | 73.48% | 72.50% | 71.60% | 70.77% | 70.00% |
| 26 | | | | | | | | | | | | 90.00% | 90.00% | 78.50% | 77.14% | 75.91% | 74.78% | 73.75% | 72.80% | 71.92% | 71.11% |
| 27 | | | | | | | | | | | | | 90.00% | 90.00% | 78.57% | 77.27% | 76.09% | 75.00% | 74.00% | 73.08% | 72.22% |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | 90.00% | 90.00% | 78.64% | 77.39% | 76.25% | 75.20% | 74.23% | 73.33% |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | 90.00% | 90.00% | 78.70% | 77.50% | 76.40% | 75.38% | 74.44% |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 90.00% | 90.00% | 78.75% | 77.60% | 76.54% | 75.56% |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | 90.00% | 90.00% | 78.80% | 77.69% | 76.67% |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90.00% | 90.00% | 78.85% | 77.78% |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90.00% | 90.00% | 78.89% |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90.00% | 90.00% |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90.00% |

इसके अलावा, किसी भी निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनस का अभ्यर्पण मूल्य, यदि कोई हो, भी देय होगा, जो निहित बोनस के बराबर है, जिसका निहित बोनस पर लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य कारक से गुणा किया जाता है। ये कारक पॉलिसी अवधि और पॉलिसी वर्ष पर निर्भर करेंगे जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की जाती है और ये नीचे निर्दिष्ट किए गए हैं:

## निहित बोनस पर लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कारक

| | पॉलिसी अवधि | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पॉलिसी वर्ष | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 17.66% | 17.58% | 17.58% | 17.03% | 16.58% | 16.22% | 15.93% | 15.72% | 15.55% | 15.42% | 15.28% | 15.13% | 14.94% | 14.13% | 13.20% | 12.06% | 10.61% | 6.01% | 6.01% | 3.06% | 2.00% |
| 4 | 17.85% | 17.66% | 17.58% | 17.58% | 17.03% | 16.58% | 16.22% | 15.93% | 15.72% | 15.55% | 15.42% | 15.28% | 15.13% | 14.94% | 14.13% | 13.20% | 12.06% | 10.61% | 6.01% | 6.01% | 3.06% |
| 5 | 18.16% | 17.85% | 17.66% | 17.58% | 17.58% | 17.03% | 16.58% | 16.22% | 15.93% | 15.72% | 15.55% | 15.42% | 15.28% | 15.13% | 14.94% | 14.13% | 13.20% | 12.06% | 10.61% | 6.01% | 6.01% |
| 6 | 18.60% | 18.16% | 17.85% | 17.66% | 17.58% | 17.58% | 17.03% | 16.58% | 16.22% | 15.93% | 15.72% | 15.55% | 15.42% | 15.28% | 15.13% | 14.94% | 14.13% | 13.20% | 12.06% | 10.61% | 6.01% |
| 7 | 19.18% | 18.60% | 18.16% | 17.85% | 17.66% | 17.58% | 17.58% | 17.03% | 16.58% | 16.22% | 15.93% | 15.72% | 15.55% | 15.42% | 15.28% | 15.13% | 14.94% | 14.13% | 13.20% | 12.06% | 10.61% |
| 8 | 19.93% | 19.18% | 18.60% | 18.16% | 17.85% | 17.66% | 17.58% | 17.58% | 17.03% | 16.58% | 16.22% | 15.93% | 15.72% | 15.55% | 15.42% | 15.28% | 15.13% | 14.94% | 14.13% | 13.20% | 12.06% |
| 9 | 20.85% | 19.93% | 19.18% | 18.60% | 18.16% | 17.85% | 17.66% | 17.58% | 17.58% | 17.03% | 16.58% | 16.22% | 15.93% | 15.72% | 15.55% | 15.42% | 15.28% | 15.13% | 14.94% | 14.13% | 13.20% |
| 10 | 21.99% | 20.85% | 19.93% | 19.18% | 18.60% | 18.16% | 17.85% | 17.66% | 17.58% | 17.58% | 17.03% | 16.58% | 16.22% | 15.93% | 15.72% | 15.55% | 15.42% | 15.28% | 15.13% | 14.94% | 14.13% |
| 11 | 23.38% | 21.99% | 20.85% | 19.93% | 19.18% | 18.60% | 18.16% | 17.85% | 17.66% | 17.58% | 17.58% | 17.03% | 16.58% | 16.22% | 15.93% | 15.72% | 15.55% | 15.42% | 15.28% | 15.13% | 14.94% |
| 12 | 25.05% | 23.38% | 21.99% | 20.85% | 19.93% | 19.18% | 18.60% | 18.16% | 17.85% | 17.66% | 17.58% | 17.58% | 17.03% | 16.58% | 16.22% | 15.93% | 15.72% | 15.55% | 15.42% | 15.28% | 15.13% |
| 13 | 27.06% | 25.05% | 23.38% | 21.99% | 20.85% | 19.93% | 19.18% | 18.60% | 18.16% | 17.85% | 17.66% | 17.58% | 17.58% | 17.03% | 16.58% | 16.22% | 15.93% | 15.72% | 15.55% | 15.42% | 15.28% |
| 14 | 30.00% | 27.06% | 25.05% | 23.38% | 21.99% | 20.85% | 19.93% | 19.18% | 18.60% | 18.16% | 17.85% | 17.66% | 17.58% | 17.58% | 17.03% | 16.58% | 16.22% | 15.93% | 15.72% | 15.55% | 15.42% |
| 15 | 35.00% | 30.00% | 27.06% | 25.05% | 23.38% | 21.99% | 20.85% | 19.93% | 19.18% | 18.60% | 18.16% | 17.85% | 17.66% | 17.58% | 17.58% | 17.03% | 16.58% | 16.22% | 15.93% | 15.72% | 15.55% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | | 35.00% | 30.00% | 27.06% | 25.05% | 23.38% | 21.99% | 20.85% | 19.93% | 19.18% | 18.60% | 18.16% | 17.85% | 17.66% | 17.58% | 17.58% | 17.03% | 16.58% | 16.22% | 15.93% | 15.72% |
| 17 | | | 35.00% | 30.00% | 27.06% | 25.05% | 23.38% | 21.99% | 20.85% | 19.93% | 19.18% | 18.60% | 18.16% | 17.85% | 17.66% | 17.58% | 17.58% | 17.03% | 16.58% | 16.22% | 15.93% |
| 18 | | | | 35.00% | 30.00% | 27.06% | 25.05% | 23.38% | 21.99% | 20.85% | 19.93% | 19.18% | 18.60% | 18.16% | 17.85% | 17.66% | 17.58% | 17.58% | 17.03% | 16.58% | 16.22% |
| 19 | | | | | 35.00% | 30.00% | 27.06% | 25.05% | 23.38% | 21.99% | 20.85% | 19.93% | 19.18% | 18.60% | 18.16% | 17.85% | 17.66% | 17.58% | 17.58% | 17.03% | 16.58% |
| 20 | | | | | | 35.00% | 30.00% | 27.06% | 25.05% | 23.38% | 21.99% | 20.85% | 19.93% | 19.18% | 18.60% | 18.16% | 17.85% | 17.66% | 17.58% | 17.58% | 17.03% |
| 21 | | | | | | | 35.00% | 30.00% | 27.06% | 25.05% | 23.38% | 21.99% | 20.85% | 19.93% | 19.18% | 18.60% | 18.16% | 17.85% | 17.66% | 17.58% | 17.58% |
| 22 | | | | | | | | 35.00% | 30.00% | 27.06% | 25.05% | 23.38% | 21.99% | 20.85% | 19.93% | 19.18% | 18.60% | 18.16% | 17.85% | 17.66% | 17.58% |
| 23 | | | | | | | | | 35.00% | 30.00% | 27.06% | 25.05% | 23.38% | 21.99% | 20.85% | 19.93% | 19.18% | 18.60% | 18.16% | 17.85% | 17.66% |
| 24 | | | | | | | | | | 35.00% | 30.00% | 27.06% | 25.05% | 23.38% | 21.99% | 20.85% | 19.93% | 19.18% | 18.60% | 18.16% | 17.85% |
| 25 | | | | | | | | | | | 35.00% | 30.00% | 27.06% | 25.05% | 23.38% | 21.99% | 20.85% | 19.93% | 19.18% | 18.60% | 18.16% |
| 26 | | | | | | | | | | | | 35.00% | 30.00% | 27.06% | 25.05% | 23.38% | 21.99% | 20.85% | 19.93% | 19.18% | 18.60% |
| 27 | | | | | | | | | | | | | 35.00% | 30.00% | 27.06% | 25.05% | 23.38% | 21.99% | 20.85% | 19.93% | 19.18% |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | 35.00% | 30.00% | 27.06% | 25.05% | 23.38% | 21.99% | 20.85% | 19.93% |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | 35.00% | 30.00% | 27.06% | 25.05% | 23.38% | 21.99% | 20.85% |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 35.00% | 30.00% | 27.06% | 25.05% | 23.38% | 21.99% |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | 35.00% | 30.00% | 27.06% | 25.05% | 23.38% |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35.00% | 30.00% | 27.06% | 25.05% |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35.00% | 30.00% | 27.06% |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35.00% | 30.00% |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35.00% |

विशेष अभ्यर्पण मूल्य की समीक्षा जीवन बीमा उत्पादों पर आईआरडीएआई मास्टर परिपत्र संदर्भ: IRDAI/ACTL/MSTCIR/MISC/89/6/2024 दिनांक 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए किसी भी बाद के परिपत्रों के अनुरूप सालाना की जाएगी।

राइडर पर कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा, यदि हो।

अभ्यर्पण मूल्य के भुगतान पर, पॉलिसी समाप्त हो जाती है और कोई और हितलाभ देय नहीं होगा।

## 11. पॉलिसी ऋण:

निम्नलिखित के अधीन पॉलिसी अवधि के दौरान अभ्यर्पण मूल्य के अंदर ऋण उपलब्ध होगा:

i. पॉलिसी के तहत ऋण का लाभ पहले पॉलिसी वर्ष के पूरा होने के बाद उठाया जा सकता है बशर्ते एक पूरे वर्ष का प्रीमियम चुकाया गया हो।

ii. पॉलिसी के तहत अधिकतम ऋण की अनुमति, समर्पण मूल्य के प्रतिशत के रूप में, निम्नानुसार होगी:

| पॉलिसी की स्थिति | दो पूर्ण वर्ष के प्रीमियम के भुगतान से पहले | दो पूर्ण वर्ष के प्रीमियम के भुगतान के बाद |
|---|---|---|
| चालू पॉलिसियों के अंतर्गत | 50% | 75% |
| चुकता पॉलिसियों के अंतर्गत | 40% | 65% |

iii. इस पॉलिसी के तहत 1 मई से 30 अप्रैल तक प्रत्येक 12 महीने की अवधि के लिए प्राप्त किए जाने वाले ऋण के लिए पूर्ण ऋण अवधि के लिए लागू ऋण ब्याज की दर पिछले वित्तीय वर्ष की अंतिम ट्रेडिंग तिथि के अनुसार अर्ध-वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि रूप में 10 वर्षीय जी-सेक प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी प्लस 3% या निगम के असंबद्ध प्रतिभागी निधि पर अर्जित प्रति वर्ष प्लस 1%, जो भी अधिक हो। 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक 12 महीने की अवधि के दौरान स्वीकृत ऋण के लिए लागू ब्याज दर 9.5% प्रति वर्ष होगी जो ऋण की पूरी अवधि के लिए अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होगा। पॉलिसी ऋण के लिए ब्याज दर के निर्धारण का आधार परिवर्तन के अधीन है।

iv. पॉलिसी अवधि के दौरान, देय तिथियों पर ब्याज के भुगतान में चूक की स्थिति में और जब ब्याज सहित बकाया ऋण राशि अभ्यर्पण मूल्य से अधिक हो जाती है, तब निगम ऐसी पॉलिसियों को बंद करने का हकदार होगा। जब ऐसी पॉलिसियाँ बंद की जा रही हों, तो उन्हें अभ्यर्पण मूल्य और ऋण की बकाया राशि के अंतर के साथ-साथ ब्याज, यदि कोई हो, का भुगतान करने का अधिकार होगा।

v. ब्याज सहित कोई भी बकाया ऋण निकासी के समय दावे की आय से वसूल किया जाएगा।

## 12. कुछ स्थितियों में जब्ती:

यदि यह पाया जाता है कि प्रस्ताव, व्यक्तिगत विवरणों, घोषणा और संबंधित दस्तावेजों में कोई असत्य या गलत विवरण निहित है या कोई भौतिक जानकारी रोककर रखी गई है, तो और ऐसे प्रत्येक मामले में पॉलिसी शून्य होगी और किसी भी लाभ के लिए सभी दावे समय–समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

## 13. पॉलिसी समापन:

निम्नलिखित में से किसी भी घटना के पहले होने पर पॉलिसी तुरंत और स्वचलित रूप से समाप्त हो जाएगी:

ए) वह तिथि जिस पर एकमुश्त मृत्यु लाभ या मृत्यु लाभ की अंतिम किस्त या निपटान विकल्प के तहत अंतिम किस्त, जो भी बाद में हो, का भुगतान किया जाता है; या

बी) वह तिथि, जब पॉलिसी के अंतर्गत समर्पण लाभ का निपटान किया जाता है; या

सी) पैरा 11 में निर्दिष्ट ऋण ब्याज के भुगतान में चूक की स्थिति में; या

डी) पुनर्चलन अवधि की समाप्ति पर यदि पॉलिसी, जिसने चुकता स्थिति प्राप्त नहीं की है, पुनर्चलन अवधि के अंदर चालू नहीं की गई है; या

ई) नि:शुल्क अवलोकन निरस्तीकरण राशि के भुगतान पर; या

एफ) उपरोक्त पैरा 12 में निर्दिष्ट जब्ती की स्थिति में।

## 14. टैक्स (कर):

अगर भारत सरकार या भारत के किसी अन्य सांवधिक प्राधिकरण द्वारा ऐसे बीमा योजनाओं पर कोई वैधानिक टैक्स लगाया जाता है तो वह समय–समय पर लागू कर संबंधी कानूनों और कर की दर से देय होगा।

मौजूदा दरों के अनुसार लागू कर की राशि, पॉलिसीधारक द्वारा प्रीमियम(मों) (मूल पॉलिसी तथा राइडर (रों), अगर कोई हो) पर देय होगी, जिसे पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियम(मों) के ऊपर व अतिरिक्त अलग से लिया जाएगा। अदा किए गए कर की राशि को योजना के अंतर्गत देय हितलाभों की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत आयकर लाभों/अदा किए गए प्रीमियम (मों) पर प्रभाव तथा देय हितलाभों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने कर सलाहकार के साथ परामर्श करें।

## 15. निशुल्क अवलोकन अवधि:

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के ''नियमों व शर्तों'' से संतुष्ट नहीं है तो पॉलिसी दस्तावेज के इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक विधि से प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, आपत्तियों का कारण बताते हुए पॉलिसी निगम को वापस की जा सकती है। इसकी प्राप्ति पर निगम द्वारा पॉलिसी को रद्द कर दिया जाएगा और जमा की गई प्रीमियम की राशि को संरक्षण की अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (मूल प्लान और राइडर(रों)के लिए, यदि कोई हो), चिकित्सा परीक्षण पर हुए व्ययों (विशेष रिपोर्ट, यदि कोई हो, सहित) और स्टांप शुल्क की कटौती करके वापस कर दिया जाएगा।

## 16. अपवर्जन:

आत्महत्या:

i. अगर बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि से 12 महीनों के भीतर किसी भी समय आत्महत्या कर लेता है, तो बीमित व्यक्ति का नामिती या हितलाभार्थी मृत्यु की तिथि तक भुगतान किए गए कुल प्रीमियम का 80% पाने का हकदार होगा, बशर्ते कि पॉलिसी कार्यरत हो।

ii. अगर बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) पुनर्चलन की तिथि से 12 महीनों के भीतर आत्महत्या कर लेता है, तो मृत्यु की तिथि तक भुगतान किए गए कुल प्रीमियम का 80% या मृत्यु की तिथि तक उपलब्ध अभ्यर्पण मूल्य में से जो अधिक हो, वह राशि देय होगी। बीमित व्यक्ति का नामिती या हितलाभार्थी पॉलिसी के तहत किसी अन्य दावे का हकदार नहीं होगा।

यह खंड चुकता मूल्य प्राप्त किए बिना समाप्त हो चुकी पॉलिसी के लिए लागू नहीं होगा और ऐसी पॉलिसियों के तहत कुछ भी देय नहीं होगा।

ध्यान दें: ऊपर वर्णित प्रीमियम में कोई कर शामिल नहीं होगा, यदि स्पष्ट रूप से एकत्र किया गया हो, अतिरिक्त प्रीमियम और टर्म एश्योरेंस राइडर के अलावा कोई भी राइडर प्रीमियम, यदि हो।

## 17. हितलाभ उदहारण:

| | | |
|---|---|---|
| वितरण चैनल | **ऑफ़लाइन** | |
| संभावित ग्राहक / पॉलिसीधारक का नाम : | | |
| आयु : | | |
| बीमित व्यक्ति का नाम : | | |
| आयु : | **30** | |
| पॉलिसी अवधि : | **35** | |
| प्रीमियम भुगतान अवधि : | **35** | |
| किस्त प्रीमियम की राशि : | **6968.00** | (मूल योजना के लिए किस्त प्रीमियम) |
| प्रीमियम भुगतान की विधि : | **वार्षिक** | |

| प्रस्ताव संख्या : | |
|---|---|
| उत्पाद का नाम : | एलआईसी का न्यू जीवन आनंद |
| टैग लाइन : | एक सहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत बचत योजना |
| विशिष्ट पहचान संख्या : | 512N279V03 |
| जीएसटी दर (पहला वर्ष) : | शून्य |
| जीएसटी दर (दूसरे वर्ष से आगे) : | शून्य |

टिप्पणी : जीएसटी दर समय-समय पर लागू अनुसार होगी. वर्तमान में इसकी छूट है.

''इस हितलाभ चित्रण को कैसे पढ़ें और समझें?

इस हितलाभ चित्रण का उद्देश्य पॉलिसी के अंतर्गत देय प्रीमियम और हितलाभों को वर्ष–वार, ब्याज की दो अनुमानित दरों पर, यानी 8% प्रति वर्ष और 4% प्रति वर्ष के अनुसार दिखाना है।

कुछ हितलाभ गारंटीकृत हैं और कुछ हितलाभ जीवन बीमा व्यवसाय करने वाले आपके बीमाकर्ता के भविष्य के प्रदर्शन के आधार पर प्रतिफलों के साथ परिवर्तनशील हैं। यदि आपकी पॉलिसी गारंटीकृत हितलाभ प्रदान करती है, तो इस पृष्ठ पर चित्रण तालिका में इन्हें स्पष्ट रूप से ''गारंटीकृत'' के रूप में चिह्नित किया जाएगा। यदि आपकी पॉलिसी परिवर्तनीय हितलाभ प्रदान करती है, तो इस पृष्ठ पर चित्रण 8% प्रति वर्ष और 4% प्रति वर्ष के अनुमानित भावी निवेश प्रतिफलों की दो अलग–अलग दरें दिखाएगा। प्रतिफलों की ये अनुमानित दरें गारंटीकृत नहीं हैं और आपको जो प्रतिफल वापस मिल सकते हैं, उनकी ऊपरी या निचली सीमा नहीं हैं, क्योंकि आपकी पॉलिसी का मूल्य भविष्य के निवेश प्रदर्शन सहित अन्य अनेक कारकों पर निर्भर करता है।''

| **पॉलिसी विवरण** | | | |
|---|---|---|---|
| पॉलिसी विकल्प | | मूल बीमा राशि रु. | 200000 |
| बोनस प्रकार | साधारण प्रत्यावर्ती और अंतिम अतिरिक्त बोनस | मृत्यु पर बीमा राशि (पॉलिसी की शुरुआत में) रु. | 250000 |

| **प्रीमियम सारांश** | | | |
|---|---|---|---|
| | मूल योजना | राइडर 1 | कुल किस्त प्रीमियम |
| किस्त प्रीमियम, जीएसटी के बिना | **6968.00** | | **6968.00** |
| किस्त प्रीमियम, पहले वर्ष के जीएसटी के साथ | **6968.00** | | **6968.00** |
| किस्त प्रीमियम, दूसरे वर्ष से बाद के जीएसटी के साथ | **6968.00** | | **6968.00** |

| ''पॉलिसी वर्ष (वर्ष का अंत)'' | वार्षिक 2 प्रीमियम (संचयी) | गारंटीकृत हितलाभ | | | गैर–गारंटीकृत हितलाभ, 4% प्रति वर्ष की दर से | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य | मृत्यु हितलाभ | परिपक्वता हितलाभ | ''प्रत्यावर्ती बोनस'' | कुल गारंटीकृत अभ्यर्पण हितलाभ 3 | विशेष अभ्यर्पण मूल्य 3 | ''अभ्यर्पण मूल्य'' |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 6968 | 0 | 250000 | 0 | 1600 | 0 | 828 | 828 |
| 2 | 13936 | 4181 | 250000 | 0 | 3200 | 4181 | 1764 | 4181 |
| 3 | 20904 | 7316 | 250000 | 0 | 4800 | 7412 | 3432 | 7412 |
| 4 | 27872 | 13936 | 250000 | 0 | 6400 | 14132 | 4880 | 14132 |
| 5 | 34840 | 17420 | 250000 | 0 | 8000 | 17901 | 6508 | 17901 |
| 6 | 41808 | 20904 | 250000 | 0 | 9600 | 21481 | 8327 | 21481 |
| 7 | 48776 | 24388 | 250000 | 0 | 11200 | 25576 | 10356 | 25576 |
| 8 | 55744 | 28491 | 250000 | 0 | 12800 | 30035 | 12627 | 30035 |
| 9 | 62712 | 32748 | 250000 | 0 | 14400 | 34649 | 15146 | 34649 |
| 10 | 69680 | 37160 | 250000 | 0 | 16000 | 39421 | 17937 | 39421 |
| 11 | 76648 | 41727 | 250000 | 0 | 17600 | 44356 | 21031 | 44356 |
| 12 | 83616 | 46457 | 250000 | 0 | 19200 | 49362 | 24472 | 49362 |
| 13 | 90584 | 51334 | 250000 | 0 | 20800 | 54512 | 28241 | 54512 |
| 14 | 97552 | 56366 | 250000 | 0 | 22400 | 59820 | 32405 | 59820 |
| 15 | 104520 | 61552 | 250000 | 0 | 24000 | 65284 | 36980 | 65284 |
| 16 | 111488 | 66893 | 250000 | 0 | 25600 | 70917 | 42004 | 70917 |
| 17 | 118456 | 72388 | 250000 | 0 | 27200 | 76721 | 47508 | 76721 |
| 18 | 125424 | 78039 | 250000 | 0 | 28800 | 82710 | 53536 | 82710 |
| 19 | 132392 | 83844 | 250000 | 0 | 30400 | 88884 | 60137 | 88884 |
| 20 | 139360 | 89804 | 250000 | 0 | 32000 | 95254 | 67365 | 95254 |
| 21 | 146328 | 95933 | 250000 | 0 | 33600 | 101840 | 75276 | 101840 |
| 22 | 153296 | 102202 | 250000 | 0 | 35200 | 108390 | 83931 | 108390 |
| 23 | 160264 | 108627 | 250000 | 0 | 36800 | 115126 | 93435 | 115126 |
| 24 | 167232 | 115206 | 250000 | 0 | 38400 | 122060 | 103886 | 122060 |
| 25 | 174200 | 121940 | 250000 | 0 | 40000 | 129204 | 115362 | 129204 |
| 26 | 181168 | 128829 | 250000 | 0 | 41600 | 136567 | 127951 | 136567 |
| 27 | 188136 | 135872 | 250000 | 0 | 43200 | 144158 | 141864 | 144158 |
| 28 | 195104 | 143070 | 250000 | 0 | 44800 | 151999 | 157184 | 157184 |
| 29 | 202072 | 150422 | 250000 | 0 | 46400 | 160096 | 174149 | 174149 |
| 30 | 209040 | 157951 | 250000 | 0 | 48000 | 168506 | 192866 | 192866 |
| 31 | 216008 | 165613 | 250000 | 0 | 49600 | 177209 | 213629 | 213629 |
| 32 | 222976 | 173431 | 250000 | 0 | 51200 | 186257 | 236624 | 236624 |
| 33 | 229944 | 181403 | 250000 | 0 | 52800 | 195691 | 262250 | 262250 |
| 34 | 236912 | 213221 | 250000 | 0 | 54400 | 229541 | 290856 | 290856 |
| 35 | 243880 | 219492 | 250000 | 200000 | 56000 | 239092 | 322840 | 322840 |
| 36 onwards* | 243880 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 69680 | 69680 |

| ''कुल हितलाभ (गारंटीकृत और गैर–गारंटीकृत हितलाभ सहित)'' | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गैर गारंटीकृत हितलाभ, 8% प्रति वर्ष की दर से | | | | परिपक्वता हितलाभ | | मृत्यु हितलाभ [4] | |
| ''प्रत्यावर्ती बोनस'' | कुल गारंटीकृत अभ्यर्पण हितलाभ 3 | विशेष अभ्यर्पण मूल्य 3 | ''अभ्यर्पण मूल्य'' | '' कुल परिपक्वता हितलाभ, अंतिम अतिरिक्त बोनस सहित, यदि कोई हो, 4% की दर से (5+6+ एफएबी)'' | '' कुल परिपक्वता हितलाभ, अंतिम अतिरिक्त बोनस सहित, यदि कोई हो, 8% की दर से (5+10+ एफएबी)'' | ''कुल मृत्यु हितलाभ, अंतिम अतिरिक्त बोनस सहित, यदि कोई हो, 4% की दर से (4+6+ एफएबी)'' | ''कुल मृत्यु हितलाभ, अंतिम अतिरिक्त बोनस सहित, यदि कोई हो, 8% की दर से (4+10+ एफएबी)'' |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 6000 | 0 | 828 | 828 | 0 | 0 | 251600 | 256000 |
| 12000 | 4181 | 1764 | 4181 | 0 | 0 | 253200 | 262000 |
| 18000 | 7676 | 5109 | 7676 | 0 | 0 | 254800 | 268000 |
| 24000 | 14670 | 7263 | 14670 | 0 | 0 | 256400 | 274000 |
| 30000 | 19223 | 9685 | 19223 | 0 | 0 | 258000 | 280000 |
| 36000 | 23068 | 12390 | 23068 | 0 | 0 | 259600 | 286000 |
| 42000 | 28844 | 15407 | 28844 | 0 | 0 | 261200 | 292000 |
| 48000 | 34280 | 18784 | 34280 | 0 | 0 | 262800 | 298000 |
| 54000 | 39876 | 22527 | 39876 | 0 | 0 | 264400 | 304000 |
| 60000 | 45638 | 26676 | 45638 | 0 | 0 | 266000 | 310000 |
| 66000 | 51587 | 31273 | 51587 | 0 | 0 | 267600 | 316000 |
| 72000 | 57351 | 36384 | 57351 | 0 | 0 | 269200 | 322000 |
| 78000 | 63252 | 41981 | 63252 | 0 | 0 | 270800 | 328000 |
| 84000 | 69319 | 48162 | 69319 | 0 | 0 | 272400 | 334000 |
| 90000 | 75547 | 54951 | 75547 | 0 | 0 | 274000 | 341000 |
| 96000 | 81984 | 62406 | 81984 | 0 | 0 | 275600 | 347000 |
| 102000 | 88637 | 70569 | 88637 | 0 | 0 | 277200 | 354000 |
| 108000 | 95557 | 79506 | 95557 | 0 | 0 | 278800 | 361000 |
| 114000 | 102745 | 89288 | 102745 | 0 | 0 | 280400 | 368000 |
| 120000 | 110240 | 99995 | 110240 | 0 | 0 | 282000 | 375000 |
| 126000 | 118084 | 111709 | 118084 | 0 | 0 | 283600 | 382000 |
| 132000 | 125408 | 124519 | 125408 | 0 | 0 | 285200 | 391000 |
| 138000 | 132998 | 138580 | 138580 | 0 | 0 | 286800 | 400000 |
| 144000 | 140910 | 154035 | 154035 | 0 | 0 | 288400 | 409000 |
| 150000 | 149180 | 171000 | 171000 | 0 | 0 | 290000 | 420000 |
| 156000 | 157845 | 189601 | 189601 | 0 | 0 | 291600 | 431000 |
| 162000 | 166944 | 210151 | 210151 | 0 | 0 | 293200 | 442000 |
| 168000 | 176552 | 232767 | 232767 | 0 | 0 | 294800 | 453000 |
| 174000 | 186701 | 257804 | 257804 | 0 | 0 | 296400 | 464000 |
| 180000 | 197533 | 285411 | 285411 | 0 | 0 | 298000 | 478000 |
| 186000 | 209100 | 316025 | 316025 | 0 | 0 | 299600 | 492000 |
| 192000 | 221527 | 349911 | 349911 | 0 | 0 | 301200 | 506000 |
| 198000 | 234982 | 387660 | 387660 | 0 | 0 | 302800 | 520000 |
| 204000 | 274421 | 429775 | 429775 | 0 | 0 | 304400 | 534000 |
| 210000 | 292992 | 564840 | 564840 | 256000 | 498000 | 306000 | 548000 |
| 0 | 0 | 69680 | 69680 | 0 | 0 | 200000 | 200000 |

टिप्पणी : इस चित्रण का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक उत्पादों की विशेषताओं और विभिन्न परिस्थितियों में हितलाभ के प्रवाह को कुछ हद तक परिमाणीकरण के साथ समझ सके। यह चित्रण एक मानक (चिकित्सा, जीवन शैली और व्यवसाय के दृष्टिकोण से) जीवन पर लागू होता है।

1. इसमें पॉलिसी की शुरुआत में प्रस्तावक/पॉलिसीधारक द्वारा चयनित सभी राइडरों के संबंध में राइडर प्रीमियम शामिल हैं।

2. वार्षिक प्रीमियम में जोखिमांकन अतिरिक्त प्रीमियम, प्रीमियम पर आवृत्ति प्रभार, राइडर के लिए भुगतान की गई प्रीमियम, यदि कोई हो, और वस्तु एवं सेवा कर शामिल नहीं हैं। इस उदाहरण में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या के लिए कृपया विक्रय साहित्य देखें।

3. अभ्यर्पण मूल्य गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी) और विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी) में से जो भी अधिक होता है, वह होगा। एसएसवी की समीक्षा जीवन बीमा उत्पादों पर आईआरडीएआई मुख्य परिपत्र, संदर्भ : संख्या IRDAI/ACTL/MSTCIR/MISC/89/6/2024 दिनांक 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए किन्हीं आगामी परिपत्रों के अनुरूप की जाएगी। अभ्यर्पण मूल्य की गणना के लिए, यह माना जाता है कि बोनस इस उत्पाद के अंतर्गत निगम के अनुभव के आधार पर वार्षिक मूल्यांकन परिणामों की शर्तों और नियमों के अनुसार घोषित किए जाने पर निहित होगा।

   * पॉलिसी अवधि समाप्त होने के बाद विशेष समर्पण मूल्य अनुमोदित विधि के अनुसार अवधि के दौरान अलग-अलग होगा और इसकी वार्षिक समीक्षा की जाएगी।

4. किसी भी मामले में किसी भी समय कुल मृत्यु हितलाभ कुल भुगतान की गई प्रीमियमों (जीएसटी, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो) के 105% से कम नहीं होगा।

- बीमांकिक जांच से निकलने वाले अधिशेष में से पॉलिसीधारकों को वास्तविक आवंटन, एलआईसी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत, इस संबंध में प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

## 18. शिकायत निवारण प्रणाली:

### निगम की:

ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु निगम के पास शाखा/मंडल/क्षेत्रीय/केंद्रीय कार्यालय में शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) हैं। ग्राहक जीआरओ के नाम और संपर्क विवरण और शिकायतों से संबंधित अन्य जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट (https://licindia.in/web/guest/grievances) पर विज़िट कर सकते हैं।

ग्राहकों की शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए निगम ने हमारे ग्राहक पोर्टल (वेबसाइट) http://www.licindia.in के माध्यम से ग्राहक अनुकूल एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली शुरू की है, जहाँ पंजीकृत पॉलिसीधारक सीधे शिकायत/असंतोष दर्ज कर सकता है और उसकी स्थिति पर नज़र रख सकता है। ग्राहक किसी भी शिकायत के निवारण के लिए ई–मेल आईडी co_complaints@licindia.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

मृत्यु दावा अस्वीकृति के निर्णय से संतुष्ट न होने वाले दावेदारों के पास अपने मामलों को समीक्षा के लिए क्षेत्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति या केंद्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति के समक्ष उठाने का विकल्प है। प्रत्येक दावा विवाद निवारण समिति का सदस्य एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय न्यायाधीश होता है।

## आईआरडीएआई का:

यदि ग्राहक प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है या 15 दिनों के भीतर हमसे प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं करता है, तो ग्राहक निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से पॉलिसीधारक के संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग से संपर्क कर सकता है:

1) टोल फ्री नंबर 155255/18004254732 (यानी आईआरडीएआई ग्रीविएंस कॉल सेंटर–(बीमा भरोसा शिकायत निवारण केंद्र)) पर कॉल कर सकता है.

2) complaints@irdai.gov.in पर ईमेल भेज सकता है.

3) https://bimabharosa.irdai.gov.in/ पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है

4) कूरियर/पत्र के माध्यम से शिकायत भेजने का पता:

   महाप्रबंधक, पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, सर्वे नंबर 115/1, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, गाचीबावली, हैदराबाद–500032, तेलंगाना।

## लोकपाल का:

दावों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए, दावेदार बीमा लोकपाल से भी संपर्क कर सकते हैं, जो ग्राहकों को कम लागत और शीघ्र मध्यस्थता प्रदान करता है।

## बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45:

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधान समय–समय पर संशोधित किए जाएंगे। वर्तमान प्रावधान इस प्रकार है:

1. पॉलिसी की तिथि से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद, यानी पॉलिसी जारी करने की तिथि या जोखिम शुरू होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के लिए राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, किसी भी आधार पर जीवन बीमा संबंधी किसी भी पॉलिसी पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

2. जीवन बीमा की पॉलिसी पर पॉलिसी जारी होने की तिथि या जोखिम शुरू होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन साल के भीतर पॉलिसी पर धोखाधड़ी के आधार पर किसी भी समय प्रश्न उठाया जा सकता है।

   बशर्ते कि बीमाकर्ता को बीमाधारक या कानूनी प्रतिनिधियों या बीमाधारक के नामितियों या समनुदेशितियों को लिखित रूप में उन आधारों और सामग्रियों के बारे में बताना होगा, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है।

   स्पष्टीकरण । – इस उप–धारा के उद्देश्य से ''धोखाधड़ी'' नामक अभिव्यक्ति का अर्थ बीमाधारक या उसके अभिकर्ता द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने या बीमाकर्ता को जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए प्रेरित करने के इरादे से किया गया निम्नलिखित में से कोई भी कृत्य शामिल है :

   ए. सुझाव, एक तथ्य के रूप में उस बारे में, जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;

   बी. बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का सक्रिय रूप से छुपाया जाना, जिस तथ्य का उसे ज्ञान हो या उसमें विश्वास हो;

   सी. धोखा देने के लिए किया गया कोई अन्य कृत्य; एवं

   डी. ऐसा कोई कृत्य या चूक जो कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी के रूप में घोषित

   स्पष्टीकरण ।। – बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के मूल्यांकन को प्रभावित करने की संभावना वाले तथ्यों के बारे में केवल चुप्पी ही धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि उस प्रकरण की परिस्थितियाँ ऐसी न हों कि उन्हें ध्यान में रखते हुए बीमाधारक या उसके अभिकर्ता का कर्तव्य बोलने के लिए मौन रहना है, या जब तक कि उसका मौन अपने आप में ही बोलने के बराबर न हो।

3. उपधारा (2) में निहित किसी भी बात के बावजूद, किसी भी बीमाकर्ता द्वारा धोखाधड़ी के आधार पर जीवन बीमा पॉलिसी को अस्वीकार नहीं किया जाएगा, यदि बीमाधारक द्वारा यह प्रमाणित किया जा सकता है कि किसी भौतिक तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करना या छिपाना उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही था, या उसकी मंशा तथ्य को जान–बूझकर दबाने की नहीं थी, या किसी भौतिक तथ्य की ऐसी गलत–बयानी या उसे दबाना बीमाकर्ता की जानकारी में है :

बशर्ते कि धोखाधड़ी के मामले में, यदि पॉलिसीधारक जीवित नहीं है, तो इसका खंडन करने का दायित्व लाभार्थियों का होता है।

स्पष्टीकरण–एक व्यक्ति जिसके द्वारा बीमा अनुबंध करवाने की माँग की जाती है और इस संबंध में बातचीत की जाती है, उसे अनुबंध के निर्माण के उद्देश्य से बीमाकर्ता का अभिकर्ता माना जाएगा।

4. जीवन बीमा पॉलिसी पर पॉलिसी जारी होने की तिथि या जोखिम शुरू होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन साल के भीतर किसी भी समय इस आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता है, कि बीमाधारक के जीवन की प्रत्याशा के संबंध में किसी भी तथ्य का कोई भी बयान देने या उसके संबंध में कोई तथ्य दबाकर रखने का काम गलत तरीके से प्रस्ताव या अन्य दस्तावेज़ में किया गया था, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या उसका पुनर्चलन किया गया था या उसके लिए राइडर जारी किए गए थे।

बशर्ते कि बीमाकर्ता को बीमाधारक या उसके वैधानिक प्रतिनिधियों या बीमाधारक के नामित व्यक्तियों या समनुदेशितियों को लिखित रूप में उन आधारों और सामग्रियों के बारे में बताना होगा, जिस पर जीवन बीमा की पॉलिसी को अस्वीकार करने का निर्णय आधारित है :

इसके अलावा, यदि पॉलिसी को गलत बयान या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाने के आधार पर अस्वीकार किया जाता है, न कि धोखाधड़ी के आधार पर, तो अस्वीकृति की तिथि तक पॉलिसी पर एकत्र किए गए प्रीमियम का भुगतान बीमाधारक या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशिती को ऐसी अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण–इस उप–धारा के उद्देश्य से तथ्य का गलत बयानी करना या छिपाना तब तक महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक कि इसका बीमाकर्ता द्वारा उठाए गए जोखिम पर सीधा असर न होता हो, बीमाकर्ता पर यह प्रदर्शित करने का दायित्व है कि यदि बीमाकर्ता को उक्त तथ्य की जानकारी होती तो ऐसे में बीमाधारक को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं की गई होती।

5. इस धारा में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो बीमाकर्ता को किसी भी समय उम्र का प्रमाण माँगने से रोके, यदि उसे ऐसा करने का अधिकार है, और किसी भी पॉलिसी को केवल इसलिए सवाल उठाने योग्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि पॉलिसी की शर्तें बाद में केवल उस परवर्ती प्रमाण पर समायोजित की गई हैं, कि प्रस्ताव में बीमाधारक की आयु गलत बताई गई है।

## छूट का निषेध (बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41)

1) कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संदर्भ में कोई बीमा लेने या नवीनीकृत करवाने या जारी रखने के लिए, देय कमीशन पर संपूर्ण या आंशिक रियायत या पॉलिसी में दर्शाए गए प्रीमियम पर किसी रियायत के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रलोभन देने की अनुमति नहीं देगा या प्रलोभन देने का प्रस्ताव नहीं करेगा, और न ही पॉलिसी लेने या पुर्नचलन करवाने वाला कोई व्यक्ति कोई रियायत स्वीकार करेगा, जिसमें वह छूट अपवाद है जो बीमाकर्ता के प्रकाशित सूची पत्रो या सारणियों के अनुसार दी जा सकती है।

2) इस धारा के उपबंधों के पालन में चूक करने वाला कोई भी व्यक्ति जुर्माने के साथ दंडित होगा जो दस लाख रूपए तक हो सकता है।

एलआईसी पर लागू बीमा अधिनियम, 1938 के विभिन्न अनुच्छेद, समय–समय पर यथा संशोधित लागू होते हैं।

इस उत्पाद विवरणिका में योजना की केवल मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। अन्य विवरणों के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर पॉलिसी दस्तावेज देखें या हमारी नजदीकी शाखा से संपर्क करें।

**फर्जी फोन कॉल एवं नकली/धोखाधड़ीपूर्ण ऑफ़रों से सावधान रहें।**

आईआरडीएआई या उसके अधिकारी बीमा व्यवसाय से संबंधित किसी भी गतिविधि, जैसे बीमा पॉलिसियाँ बेचना, बोनस की घोषणा करना या प्रीमियमों का निवेश, धनराशि वापस करना आदि में संलग्न नहीं होते हैं। ऐसे फोन कॉल प्राप्त करने वाले पॉलिसीधारकों या संभावित ग्राहकों से अनुरोध है कि वे इनकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाएँ।

## भारतीय जीवन बीमा निगम

'' भारतीय जीवन बीमा निगम'' की स्थापना 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जीवन बीमा का विस्तार मुख्य रुप से ग्रामीण क्षेत्रों तक करने के उद्देश्य के साथ की गई थी, जिससे कि यह देश के हर बीमा योग्य व्यक्ति तक पहुँच सकें और उसे बीमा योग्य घटनाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक संरक्षण प्रदान कर सकें। भारतीय बीमा उद्योग के उदारीकरण के बाद भी एलआईसी निरंतर एक महत्वपूर्ण बीमा कंपनी की भूमिका निभा रहा है तथा अपने पुराने कीर्तिमानों को पीछे छोड़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने अस्तित्व के छ: दशकों को पार करते हुए एलआईसी अपने प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक मजबूती के साथ निरंतर अग्रसर है।

**पंजीकृत कार्यालय:**

भारतीय जीवन बीमा निगम
केन्द्रीय कार्यालय, योगक्षेम जीवन बीमा
मार्ग, मुंबई – 400021

वेबसाईट: **www.licindia.in**

पंजीकरण संख्या: 512